

प्रशान्त कुमार,
आईपीएस



डीजी परिपत्र सं० - 24 /2024

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,

लखनऊ-226002

दिनांक: जुलाई 17, 2024

विषय:- मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या:68/2008 ललिता कुमारी बनाम उ०प्र० राज्य में पारित निर्णय दिनांकित 12.11.2013 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-173(3) के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने से पूर्व प्रारम्भिक जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

अवगत कराना है कि समय-समय पर मुख्यालय स्तर से संज्ञेय अपराध के घटित होने

पत्र सं०-डीजी-दस-वि०प्र०-रिट-517/2013 दि०-08.08.23
डीजी-परिपत्र सं० - 11/2021 दि० 12.03.2021
पत्र सं०-डीजी-सात-एस-14(28)/2015 दि०-25.06.2017
डीजी-परिपत्र सं० - 58/2016 दि० 16.10.2016
डीजी-परिपत्र सं० - 82/2015 दि० 26.12.2015
डीजी-परिपत्र सं० - 23/2014 दि० 05.04.2014
डीजी-परिपत्र सं० - 21/2013 दि० 03.05.2013
अर्द्धशा०परिपत्र सं०-डीजी61/2013 दि० 29.10.2013
पत्रसं०-डीजी-दस-वि०प्र०-रिट-517/2013 दि० 30.12.2017

की प्रत्येक सूचना पर अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश पार्श्वकृत परिपत्रों के माध्यम से निर्गत किये गये हैं। प्रायः यह भी देखा जा रहा है कि व्यवसायिक स्पर्धा तथा व्यापारिक लेन-देन के कारण उत्पन्न विवाद जो मुख्य रूप से सिविल प्रकृति के होते हैं किन्तु निहित स्वार्थवश प्रकरण के तथ्यों को तोड़मरोड़ कर उसे

आपराधिक रंग देते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं। मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या:68/2008 ललिता कुमारी बनाम उ०प्र० राज्य में पारित निर्णय दिनांकित 12.11.2013 के आलोक में इस प्रकार के सिविल प्रकृति के विवादों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर ली जाती है जबकि इन विवादों के सम्बन्ध में उपचार सिविल न्यायालय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

समय-समय पर विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के समक्ष प्रत्यावेदन के माध्यम से यह तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं कि व्यवसायिक विवादों, जो मूलतः सिविल प्रकृति के होते हैं, को आपराधिक रंग देते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने का प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठानों, संस्थानों आदि में कोई आकस्मिक घटना / दुर्घटना होने पर प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों के अतिरिक्त मैनेजमेन्ट स्तर के लोगों को भी प्रथम सूचना

l

(2)

में नामित कर दिया जाता है, जिनका उस घटना से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है। आप सहमत होंगे कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर निर्दोष व्यक्तियों, विशेष रूप से उद्यमियों के विरुद्ध निराधार प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया जाना शासन की प्रदेश में उद्यमियों को आमंत्रित करने तथा **Ease of Doing Business** को बढ़ावा देने की नीति के विपरीत है। इस प्रकार की घटनाओं से व्यवसायी उOप्रO में निवेश करने से हतोत्साहित हो सकते हैं।

01 जुलाई 2024 से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-173(3) में 03 वर्ष से अधिक किन्तु 07 वर्ष से कम सजा के अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने से पूर्व प्रारम्भिक जाँच कराये जाने का विकल्प दिया गया है। रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या:68/2008 ललिता कुमारी बनाम उOप्रO राज्य में पारित निर्णय दिनांकित 12.11.2013 के प्रस्तर-111 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि यदि प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का होना न पाया जाए लेकिन सूचना में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में यह निर्धारित करने की आवश्यकता हो कि संज्ञेय अपराध कारित किया गया है अथवा नहीं तो ऐसी दशा में प्रारम्भिक जाँच करायी जा सकती है। माO न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में निम्नवत निर्देशित किया गया है—

111) In view of the aforesaid discussion, we hold:

(i) Registration of FIR is mandatory under Section 154 of the Code, if the information discloses commission of a cognizable offence and no preliminary inquiry is permissible in such a situation.

(ii) If the information received does not disclose a cognizable offence but indicates the necessity for an inquiry, a preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether cognizable offence is disclosed or not.

(iii) If the inquiry discloses the commission of a cognizable offence, the FIR must be registered. In cases where preliminary inquiry ends in closing the complaint, a copy of the entry of such closure must be supplied to the first informant forthwith and not later than one week. It must disclose reasons in brief for closing the complaint and not proceeding further.

(iv) The police officer cannot avoid his duty of registering offence if cognizable offence is disclosed. Action must be taken against erring officers who do not register the FIR if information received by him discloses a cognizable offence.

(v) The scope of preliminary inquiry is not to verify the veracity or otherwise of the information received but only to ascertain whether the information reveals any cognizable offence.

(vi) As to what type and in which cases preliminary inquiry is to be conducted will depend on the facts and circumstances of each case. The category of cases in which preliminary inquiry may be made are as under:

- a) Matrimonial disputes/ family disputes
- b) Commercial offences
- c) Medical negligence cases
- d) Corruption cases

2

e) Cases where there is abnormal delay/laches in initiating criminal prosecution, for example, over 3 months delay in reporting the matter without satisfactorily explaining the reasons for delay. The aforesaid are only illustrations and not exhaustive of all conditions which may warrant preliminary inquiry.

vii) While ensuring and protecting the rights of the accused and the complainant, a preliminary inquiry should be made time bound and in any case it should not exceed 7 days. The fact of such delay and the causes of it must be reflected in the General Diary entry.

(viii) Since the General Diary/Station Diary/Daily Diary is the record of all information received in a police station, we direct that all information relating to cognizable offences, whether resulting in registration of FIR or leading to an inquiry, must be mandatorily and meticulously reflected in the said Diary and the decision to conduct a preliminary inquiry must also be reflected, as mentioned above.

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों से स्पष्ट है कि वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, व्यापारिक अपराध, चिकित्सीय लापरवाही के प्रकरण, भ्रष्टाचार के प्रकरण, ऐसे प्रकरण, जिनमें प्रथम सूचना पंजीकृत कराने में अस्वाभाविक विलम्ब हुआ हो, ऐसे मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने से पूर्व जाँच कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्णित उपरोक्त पाँच श्रेणी के प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि सीधे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है तो प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट खंडित करने अथवा विवेचना स्थगित करने हेतु मा० उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं योजित की जाती हैं, जिससे मा० न्यायालय का बहुमूल्य समय नष्ट होता है और पुलिस प्रशासनिक मशीनरी पर भी अनावश्यक कार्य का भार बढ़ता है। उपरोक्त के दृष्टिगत यह युक्तियुक्त पाया जा रहा है कि उपरोक्त वर्णित सभी पाँच प्रकार के प्रकरणों में यदि प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र से संज्ञेय अपराध का होना न पाया जाए अथवा संशय की स्थिति हो तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जाँच कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि घटना में संज्ञेय अपराध का होना पाया जा रहा है अथवा नहीं। तत्पश्चात् ही प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जाए।

मा० सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित निर्देशों के क्रम में करायी जाने वाली जाँच में मुख्य रूप से यह निर्धारित किया जायेगा कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर संज्ञेय अपराध कारित होना पाया जा रहा है अथवा नहीं। मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर जाँच पूर्ण करने हेतु रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या-68/2008 ललिता कुमारी बनाम उ०प्र० राज्य में पारित संशोधन आदेश दिनांकित 05.03.2014 द्वारा सामान्य परिस्थितियों में 15 दिवस का समय तथा अपवाद स्वरूप अधिकतम 06 सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है। उपरोक्तानुसार करायी जाने वाली जाँच के सम्बन्ध में निम्नवत दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं—


१

- (i) उद्यमियों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों यथा भवन निर्माताओं, फैक्ट्री संचालकों, होटल संचालकों, अस्पताल एवं नर्सिंग होम संचालकों तथा स्कूल/शैक्षिक संस्थाओं के संचालकों के विरुद्ध प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र—
- व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता / व्यवसायिक विवाद अथवा सिविल विवादों को आपराधिक स्वरूप देते हुये तो नहीं प्रस्तुत किया गया है।
 - आकस्मिक घटना अथवा दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में नामित अभियुक्त घटना से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है या नहीं। प्रार्थना पत्र में प्रतिष्ठान/संस्थान के मालिक तथा मैनेजमेन्ट स्तर के व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से दबाव बनाने के लिये नामजद तो नहीं किया गया है।
 - प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र से क्या संज्ञेय अपराध का होना प्रमाणिक रूप से स्पष्ट हो रहा है।
 - प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में अस्वाभाविक / अत्यधिक विलंब तो नहीं हुआ है।
- (ii) उपरोक्त बिन्दुओं पर परीक्षण कर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने / प्रार्थना पत्र पर जाँच कराये जाने का निर्णय लेने हेतु कमिश्नरेट स्तर पर जाँच का आदेश पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी को अपने क्षेत्र के लिये तथा जनपद स्तर पर प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर जाँच का आदेश सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनके द्वारा प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर विचार कर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने से पूर्व जाँच कराने का निर्णय लिया जायेगा।
- (iii) पृष्ठ सं0-4 में अंकित बिन्दु सं0-(i) में वर्णित व्यवसायिक विवादों और व्यापारिक लेन-देन अथवा संविदात्मक दायित्वों से सम्बन्धित विवादों, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों, चिकित्सीय लापरवाही के प्रकरणों, भ्रष्टाचार के प्रकरणों तथा अन्य जटिल प्रकरणों से सम्बन्धित प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त तथा जनपद में पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी।
- (iv) सामान्य प्रकृति के कम जटिल प्रकरणों की जाँच पुलिस उपनिरीक्षक या उच्च स्तर के अराजपत्रित अधिकारी द्वारा भी की जा सकती है।
- (v) जाँच के दौरान जाँच अधिकारी द्वारा वादी तथा प्रतिवादी अर्थात् उभयपक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा तथा प्रकरण से सम्बन्धित दोनों पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को भी जाँच आख्या के साथ संलग्न किया जायेगा।

- (vi) जाँच अधिकारी द्वारा जाँच तत्परता से कर मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के अन्दर जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। यदि निर्धारित समयसीमा 15 दिवस में जाँच कार्यवाही पूर्ण किया जाना सम्भव न हो तो इस सम्बन्ध में कारण अंकित करते हुये पुलिस उपायुक्त / जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से अग्रिम समय प्राप्त किया जायेगा। किसी भी दशा में जाँच छः सप्ताह से अधिक लम्बित नहीं रखी जायेगी।
- (vii) उपरोक्तानुसार सम्पादित जाँच आख्या पर विचार कर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने अथवा न पंजीकृत करने का निर्णय कमिश्नरेंट में पुलिस उपायुक्त द्वारा तथा जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा लिया जायेगा।
- (viii) उपरोक्त समस्त निर्देश उन्हीं प्रकरणों में लागू होंगे, जिनमें प्राप्त प्रार्थना पत्र से संज्ञेय अपराध कारित होने या न होने के सम्बन्ध में संशय हो।
- (ix) ऐसे प्रकरण जिसमें कूट रचना अथवा धोखाधड़ी किया जाना या संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो रहा हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल पंजीकृत की जायेगी।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों / परिपत्रों का पुनः गहनता से अध्ययन कर लें एवं अपने अधीनस्थ राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों को विस्तार से अवगत करा दें तथा इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,


17.7.21.
(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
4. पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था), उ०प्र०, लखनऊ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।